

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा)



क्रमांक :— एफ () ग्रा०वि०/नरेगा/ऑडिट/2015 जयपुर,

दिनांक:

06 MAY 2015

कार्यालय आदेश

महात्मा गांधी नरेगा में कार्यों का गुणात्मक क्रियान्वयन, स्थाई परिसम्पत्ति के सृजन हेतु तकनीकी अभियन्ताओं को सुलभ सन्दर्भ हेतु कार्य निर्देशिका तैयार की जानी है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सामर्थ्य नामक कार्य निर्देशिका प्रकाशित की है। इसी निर्देशिका के अनुरूप राजस्थान राज्य में कार्य निर्देशिका तैयार की जानी है।

भारत सरकार से प्राप्त सामर्थ्य कार्य निर्देशिका का संकलन अंग्रेजी में है। जिसका हिन्दी रूपान्तरण किया जाना है। साथ ही साथ राज्य में क्रियान्वित गतिविधियों की विषय वस्तु संकलित की जानी है। उक्त समस्त कार्यों हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस मुख्यालय जयपुर के निर्देशन में निम्न अभियन्ताओं / कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। सम्बन्धित अधिकारी / अभियन्ता दिनांक 15 मई 2015 तक कार्य निर्देशिका की विषय वस्तु एवं हिन्दी रूपान्तरण कर नियन्त्रक अधिकारी को प्रस्तुत करें।

अ. हिन्दी रूपान्तरण एवं विषय वस्तु संकलन

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद एवं पदस्थापन	विषय वस्तु का विवरण
1	श्री बी.एल. गुप्ता	अधि.अभि. जि.प.जयपुर	ग्रामीण अवसरंचना (Rural infrastructure)
2.	श्री इन्द्रजीत निमेश	अधि.अभि. जि.प. भीलवाड़ा	गुणवत्ता नियन्त्रण एवं कार्यों का रख-रखाव (Quality control & maintenance of work)
3	श्री एन.के. जोशी	अधि.अभि. मुख्यालय ग्रा०वि०	अभिसरण (convergence)
4	श्री संजय प्रकाश भादू	उपवन संरक्षक मुख्यालय	वनीकरण, पौधारोपण एवं उद्यानिकी (afforestation, plantation & horticulture)

* उक्त अधिकारी अपने कार्य के साथ आवन्ति कार्य सम्पादित करेंगे।

ब. कार्य निर्देशिका महात्मा गांधी नरेगा मुख्यालय में उपस्थित रहकर तैयार करने हेतु निम्नलिखित अधिकारी / अभियन्ता / कार्मिकों को आगामी आदेशों तक लगाया जाता है।

क्र.सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पद एवं पदस्थापन	वि०वि०
1	श्री सुनील कुमार सिंह	सहा०अभि० पंचायती राज मुख्यालय	श्री योजना के कार्य के साथ – साथ महात्मा गांधी नरेगा तकनीकी निर्देशिका का कार्य
2	श्री नवीन वशिष्ठ	सहा०कृषि अभि० जग्रविभूसं मुख्यालय जयपुर	महात्मा गांधी नरेगा तकनीकी निर्देशिका में जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण से सम्बन्धित कार्य
3	श्री सर्वेश गुप्ता	सहा०अभि० (सीडी) जिला परिषद टॉक	महात्मा गांधी नरेगा तकनीकी निर्देशिका में ग्रामीण अविसंरचना से सम्बन्धित कार्य
4.	श्री रिषी गुप्ता	क०लि० अनुभाग –3 ग्रा०वि०	तकनीकी कार्य निर्देशिका टंकण कार्य

नोट— सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी उक्तानुसार बिन्दु संख्या ब. में लगाये गये कार्मिकों अविलम्ब कार्य मुक्त कर ग्रामीण विकास महात्मा गांधी नरेगा मुख्यालय अनुभाग – 3 में उपस्थिति देना सुनिश्चित करें।

राजीव सिंह ठाकुर
 शासन सचिव, ग्रा०वि०

प्रतिलिपि –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय ग्रा०वि० एवं पं०रा०वि० ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रा०वि० एवं पं०रा०वि० ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रा०वि० ।
4. आयुक्त एवं शासन सचिव, पं०रा० ।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना राजस्थान ।
6. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, पंत भवन जयपुर, सम्बन्धित कार्मिक को कार्यमुक्त कर उपस्थिति देने हेतु पाबन्द करावें ।
7. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा, भीलवाड़ा ।
8. अति० आयुक्त एवं शासन उप सचिव द्वितीय पं०रा०, जयपुर, सम्बन्धित कार्मिक को कार्यमुक्त कर उपस्थिति देने हेतु पाबन्द करावें ।
9. अति० आयुक्त ईजीएस प्रथम एवं प्रभारी संस्थापन आवश्यक व्यवस्थाएँ, कार्मिकों को बैठने की व्यवस्था एवं कार्मिकों को प्रकोष्ठ में उपस्थिति देने हेतु ।
10. परियोजना निदेशक ई.जी.एस. जयपुर ।
11. अति० मुख्य अभियन्ता, ग्रा०वि० एवं पं०रा०वि० जयपुर ।
12. अति० आयुक्त ईजीएस द्वितीय, जयपुर ।
13. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रा०वि० जयपुर ।
14. अधीक्षण अभियन्ता (प्रो०) पं० राज जयपुर ।
15. अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस एवं प्रभारी श्री योजना मुख्यालय जयपुर ।
16. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टोंक / जयपुर / भीलवाड़ा ।
17. अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टोंक को सम्बन्धित कार्मिक को कार्यमुक्त कर उपस्थिति देने हेतु भिजवाने बाबत ।
18. अति० कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा, जयपुर ।
19. सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी.....को पालनार्थ ।

परि.निदेशक एवं उप सचिव, ईजीएस